भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009
Sevottam Compliant An IS 15700 certified Custom House
Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in
Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468
Ph: 0484-2666861-64/774/776

सार्वजनिक सूचना **PUBLIC NOTICE NO.19/2018**

विषय: मूल्यांकन ग्रूप VII को समाप्त करने और अन्य निर्यात संबंधी कार्यकलापों के कारण मूल्यांकन के तरीके में परिवर्तन-संबन्धित

Sub: Changes in assessment practice due to the Discontinuation of Assessment Group VII and other Export related developments- Reg.

सभी आयातकों, निर्यातकों, सीमाशुल्क ब्रोकरों, आम व्यापारियों और अन्य सभी भागीदारों का ध्यान बोर्ड के पत्र 450/100/2017 -Cus-IV दिनांक 10.04.2018 और 08.05.2018 के आईसीईएस सलाह 18/2018 के अनुरूप विभिन्न योजनाओं/ लाइसेंस के लिए दिनांक 08.05.2018 से मूल्यांकन ग्रूप VII को बंद करने पर मूल्यांकन के तरीके में किए गए परिवर्तनों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

Attention of all Importers, Exporters, Custom Brokers, the Trading public and all other stake holders is invited to the changes in assessment practice brought about by the discontinuation of Assessment Group VII, for different Schemes/License, with effect from 08.05.2018, in line with the Board's Letter 450/100/2017 –Cus-IV dated 10.04.2018 and ICES Advisory 18/2018 dated 08.05.2018.

2. उसके परिणामस्वरूप एमईआईएस, एसएफआईएस आदि विभिन्न स्क्रिपों और डीईईसी, ईपीसीजी जैसे लाइसेंसों के तहत किए जाने वाले सभी आयातों का मूल्यांकन ग्रूपों में ही किया जाएगा। दिनांक 08.05.2018 को या उसके बाद दायर किए गए सभी बिल किसी भी अन्य बिल की तरह ग्रूप I से VI को आवंटित किए जाएंगे, जो कि उच्चतम आकलन योग्य मूल्य वाले आइटम के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। बिलों को नियमित ग्रूप बिलों की तरह पहले आने वाले को पहले निपटान नियम का पालन करेंगे। इसके अलावा इस बात का भी उल्लेख करना है कि दिनांक 07.05.2018 को या उससे पहले दायर की गई विलंबित अगम बिल पहले के ग्रूप में निपटान के लिए उपलब्ध रहेंगे।

Consequently, all imports under different scrips like MEIS, SFIS etc. and under licenses like DEEC, EPCG etc. will be assessed in groups only. All such Bills filed on or after 08.05.2018, shall be allotted to Groups I to VI, as is done in the case of any other Bill, depending on the classification of the item with the highest assessable value. The Bills shall follow the First in-First out rule like the regular

Group Bills. Further, it is to mention that the Bills of Entry filed on or before 07.05.2018 and pending assessment shall be available in the erstwhile Group for processing.

3. इस बात की परवाह किए बिना कि बिल का आकलन किस ग्रूप में किया जाता है, बॉन्ड फाइलों की निगरानी और रखरखाव, स्क्रिपों/ लाइसेंसों के पंजीकरण, संबंधित बॉन्ड/ बैंक गैरंटी का पंजीकरण और योजना/ लाइसेंस बिलों के संबंध में निर्यात दायित्व निर्वहन की निगरानी आदि पहले के ग्रूप VII अनुभाग में ही जारी रहेगी।

Monitoring and maintenance of Bond Files, Registration of Scrips/Licenses, registration of the related Bond/BG and the monitoring of Export Obligation discharge in respect of the Scheme/License Bills of Entry, will continue to be carried out at the erstwhile Group VII Section, irrespective of the Assessment Group under which the Bills are assessed.

4. डिजिटल सीमा शुल्क के प्रति प्रतिबद्धता को आगे बनाए रखने के लिए, निर्यात के मामले में भी निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:

(i) निर्यात शुल्क/ उपकर के भुगतान के लिए ई-भुगतान की सुविधा को लागू किया गया है। आयात शुल्क के मामले की तरह आईसीईजीएटी के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

(ii) शुल्क वापसी के भुगतान को पीएफएमएस के माध्यम से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बनाने की दिशा की ओर एक कदम के रूप में पीएफएमएस द्वारा बैंक खाते का सत्यापन अब शुल्क वापसी की अदायगी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। जब तक निर्यातक का खाता पीएफएमएस द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक उनके नौवहन बिल अंतिम शुल्क वापसी के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

4. Furthering the commitment to Digital Customs, there have been following developments on the Exports side:

(i) E-payment facility has been operationalized for the payment of Export Duty/ Cess. The payment can be made through ICEGATE in the same way as in the case of import duties.

(ii) As a step towards making Drawback payment completely electronic through PFMS, Bank account validation by PFMS is now mandatory for Drawback also. Unless the exporter's account is accepted by PFMS, their Shipping Bill shall not be available for the final Drawback scroll.

5. आम व्यापारियों और हितधारकों को सलाह दिया जाता है कि वे उपर्युक्त परिवर्तनों की संज्ञान लें। यदि कोई कठिनाई हो, तो उसे अधोहस्ताक्षरी की सूचना में लाया जाये।

The trade and stakeholders are advised to take cognisance of the above mentioned changes. Difficulties faced, if any, may be brought to the notice of the undersigned.

Sd/-

(सुमित कुमार SUMIT KUMAR)

सीमाशुल्क आयुक्त Commissioner of Customs

संलग्न **Encl: As above**

फा सं. **F.No.C1/05/2017 TU. Cus.**

दिनांक **Dated: 21.05.2018**

प्रतिलिपि Copy to :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय शुल्क, केंद्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क।
   The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise and Customs.
2. आयुक्त की फाइल/ अपर आयुक्त/ सभी उप आयुक्त व सहायक आयुक्त, विकास आयुक्त (सीएसईज़ेड)/ सभी मूल्य निरूपक/ सभी अनुभाग/ गार्ड फाइल और डाक सूची के अनुसार।
   सभी संबन्धित अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे इसे नोट करें और निर्देशों/ परिवर्तनों का अनुपालन करें।
   Commissioner's file/Addl Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ Development Commissioner (CSEZ)/ All Appraisers/ All Sections / Guard File and as per mailing list. All concerned officers are directed to note and comply with the instructions/changes

//अनुप्रमाणित / ATTESTED//

//जी.अनिलकुमार / G.ANILKUMAR//
मूल्यांकक (टैरिफ यूनिट) APPRAISER (TARIFF UNIT)